Date of Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Order or Plead Proceeding राज्य द्वारा एडीपीओ। nee अमियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री डी०आर० बंसल। प्रकरण अमियोजन साक्ष्य हेत् नियत है। फरियादी एवं आहत सुनीता एवं रामा उपस्थित। उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यरथता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूरी रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए उपयुक्त प्रकरण है। उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्त अत मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को केन कर निर्माण मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एएसजे गोहद का चुनाव किया है। हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को मेजा जाये। मध्यस्थ क्र उमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ क्रिक्टिक प्रकरण आगामी दिनांक 30.10.17 को मीनियोग विर्वां के प्रशिक्षित मध्यस्थ निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल / असफल जो मी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें। प्रकरण आगामी दिनांक 30.10.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन समक्ष आज दिनांक 13.10.17 को 12 बजे स्वतः उप० रहें। की प्रस्तुती हेतु पेश हो। Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.) 2 Add white is the उमयपक्ष पूर्ववत। प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत। फरियादी सुनीता एवं रामा ने एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत ब्राय के 320, द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति स्थार पत्र अतर्गत धारा 320–2 फरियादी एवं आहत के हस्ताध्य प्राणीनिक प्राणीन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, छायाचित्र प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिववता श्री क्रिकेश कुशवाह एव अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री डी०आर० बेराल द्वारा की गई। उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्तगण पर भा0द0वि० की धारा २९४, ३२३ /३४, एवं ५०६ भाग-दो के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोगपत्र पेश किया है जो कि धमनीय है।

## Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . . . . of 20 . . . . Signature of Date of Parties or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Order or Pleaders where Proceeding necessary पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तस्दीकं मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, एवं 506 माग-दो भा०द०विए के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अमियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो। (R.K. Cupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (MP.)